

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 4

**PART II—Section 4** 

प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02] No. 02] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 2017/माघ 4, 1938

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 2017/MAGHA 4, 1938

#### रक्षा मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2017

का.नि.आ. **2(अ).**—निम्नलिखित कुछ प्रारूप नियम, जो छावनी (सूचनाओं का तामील का प्ररूप और रीति) नियम, 2016 भारत के राजपत्र असाधारण, भाग – II, खंड - 4 तारीख 05 अगस्त, 2016 को छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 346 की अपेक्षानुसार भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के का.नि.आ. सं.10(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और उससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से उपर्युक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अविध की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, उक्त राजपत्र की अधिसूचना की प्रतियां जनता को 05 अगस्त, 2016 को उपलब्ध कराई गई थी;

और, केंद्रीय सरकार को उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में साठ दिनों की अविध की समाप्ति के पश्चात भी जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 346 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- **1.** संक्षिप्त नाम और प्रारंभः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी (सूचनाओं का तामील का प्ररूप और रीति) नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

415 GI/2017 (1)

तारीख.....

- **2. परिभाषाएं** (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
  - (क) 'अधिनियम' से छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) अभिप्रेत है;
  - (ख) 'प्ररूप' से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत हैं ;
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु, परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके अधिनियम में हैं।
- 3. सूचनाओं के प्ररूप- अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति पर तामील किए जाने के लिए अपेक्षित सभी सूचनाएँ, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूपों में की जा सकेंगीं।
- **4. सूचनाओं को तामील करने की रीति** किसी व्यक्ति को अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक सूचना निम्न प्रकार से तामील या प्रस्तुत की जा सकेगी
  - (क) सूचना, ऐसे व्यक्ति को देकर या निविदत्त करके या डाक द्वारा भेजकर ;
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति मिल नहीं सकता है तो उसके अंतिम ज्ञात निवास या कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य भाग पर सूचना को चिपका कर, यदि ऐसा स्थान छावनी के भीतर है तो, सूचना को उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या सेवक को देकर या निविदत्त करके या उस भवन या भूमि के, यदि कोई है, जिससे यह संबन्धित है, किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकवा कर।
- 5. **धारा 316 से 321 के उपबंधों का लागू होना** अधिनियम की धारा 316 से 321 तक के उपबंध इन नियमों के अधीन जारी की गई प्रत्येक सूचना को लागू होंगे।

#### प्ररूप संख्या - 1

## छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 76 के अधीन लोक सूचना

		<del>-</del>	<del></del>	£ <del>1</del>
	यह सूचना छावनी अधिनियम 2006 की धार	रा ३१५ का अपक्षानुस	गर निम्नालाखत प्रमुख स्थाना प	र लगाइ जा रहा ह :-
l				
2				
5				
5				
छावनी '	बोर्ड कार्यालय		मुख्य अधिशासी अधिकारी	
			छावनी बोर्ड	

(बोर्ड की मुहर)

## प्ररूप संख्या - 2 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 76 के अधीन व्यक्तिगत सूचना

सेवा में,	
विषय: निर्धारण सूची के पुनरीक्षण के संबंध में	
महोदय/महोदया,	
अधिकारी ने एक नई कर निर्धारण सूची तैयार की है, जि की जा चुकी है और आपकी संपत्ति जो	अपेक्षानुसार आपको सूचना दी जाती है कि मुख्य अधिशासी जेसकी लोक सूचना पहले ही (तारीख) को प्रकाशित के नाम से ज्ञात है, का निर्धारण अधिशासी अधिकारी पुनरीक्षित निर्धारण और मूल्यांकन पर मुख्य अधिशासी अधिकारी
<ol> <li>यदि उपरोक्त निर्धारण के बारे में आपका कोई अ करते हुए कि निर्धारण के बारे में आपका विवाद क्या है,</li> </ol>	आक्षेप है तो आप तारीख से पूर्व, यह कथन लिखित में आक्षेप करें।
3. मुख्य अधिशासी अधिकारी (तारीख)	के पश्चात आपसे प्राप्त किसी आक्षेप पर विचार नहीं करेंगे।
छावनी बोर्ड कार्यालय संख्या तारीख	मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी बोर्ड (बोर्ड की मुहर )
निर्धारण/मूल्यांकन के ब्योरे	
1	
2	
3	

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 79 की उपधारा (2) के अधीन सूचना

सेवा में,		
महोदय/महोदया,		
निर्धारण सूची को निम्नलिखित रीति में और नीचे विनिर्दिष्ट अ	ाधारों पर संशोधित करना आवश्यक हो गया है:-	
(क) नाम से ज्ञात संपत्ति के संबंध में १ कर/लोप करके, जिसका नाम जोड़ा जाना या लोप किया जाना		
(ख)के नाम से ज्ञात संपत्ति जोड़ किया जाना चाहिए था।	कर⁄लोप करके जिसका नाम जोड़ा जाना या लोप	
(ग) के नाम से ज्ञात संपत्ति के निर्धारण प्रशासन या निर्धारक के कपट, संयोग या भूल के कारण गलत	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(घ) पुनर्मूल्यांकन/पुनर्निर्धारण करने पर नाम से ज्ञात संपत्ति का मूल्य अंतिम निर्धारण के बाद से रू0 से बढ़कर रू0 हो गया है।		
्ङ)के नाम से ज्ञात संपत्ति के संबंध में, अधिभोगी का नाम बदल कर क्योंकि कर अधिभोगी द्वारा संदेय है।		
यदि उपरोक्त संशोधनों के बारे में आपको कोई आपत्ति है तो हैसे पूर्व प्रस्तुत करना चाहिए।	अपना आक्षेप, मुख्य अधिशासी अधिकारी के पास	
(कथित समय सीमा, सूचना की तारीख से तीस दिन से कम नहीं होनी च	गहिए)	
छावनी बोर्ड कार्यालय	अधिशासी अधिकारी	
संख्या	आयशासा आयकारा छावनी बोर्ड	
तारीख	(बोर्ड की मुहर)	

## प्ररूप संख्या - 4 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 82 के अधीन सूचना

सेवा में,	
मुख्य अधिशासी अधिकारी	
छावनी बोर्ड	
महोदय/महोदया,	
मैं/हम छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 82 की अपेक्षानुसार सूचना देता/देती हूं/देते हैं मैंने/हमने छावनी बोर्ड संख्या तारीख के आपके पत्र संख्या तारीख के आपके पत्र संख्या द्वारा दी गयी मंजूरी के अनुसरण में, तारीख को गली/सड़क पर स्थित प्लॉट संख्या पर भवन का निर्माण/पुनर्निर्माण पूरा कर लिया है/अधिभोग ग्रहण लिया है।  (कथित समय सीमा भवन के पूरा होने या अधिभोग की तारीख से 30 दिन से कम नहीं होनी चाहिए, जो भी पहले हो)	<u>ુ</u> ચ
तारीख	
भवदीय,	
हस्ताक्षर	
नाम	
पता	

## प्ररूप संख्या - 5 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 86 के अधीन सूचना

सेवा में,
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी बोर्ड
विषय : के नाम से ज्ञात संपत्ति को खाली करने की सूचना
नहोदय/महोदया,
मैं/हम छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 86 के अधीन सूचना देती/देता हूं/देते हैं कि उल्लिखित संपत्ति* (संपत्ति का भाग) खाली है और तारीख से उससे कोई किराया (भाटक) नहीं मिल रहा है।
कृपया इसे नोट करें ।
नारीख
भवदीय,
हस्ताक्षर
नाम
पता

(\*यहाँ सम्पत्ति के खाली भाग की विशिष्टियों का उल्लेख करें )

## प्ररूप संख्या - 6 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 88 के अधीन सूचना

सेवा में,	मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी बोर्ड
विषय :	के नाम से ज्ञात संपत्ति का पुनः अधिभोग
महोदय,	
उल्लिखि है ।	मैं/हम छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 88 के अधीन सूचना देती/देता हूं/देते हैं वि व्रत संपत्ति*/(सम्पत्ति के भाग) का नाम तारीख 20 से पुनः अधिभोग में से लिया गय
(कथित	समय सीमा, सम्पत्ति के पुन: अधिभोग से 15 दिन से कम नहीं होनी चाहिए)
तारीख .	
	भवदीय,
	हस्ताक्षर नाम पता

(\*यहाँ सम्पत्ति के भाग का उल्लेख करें)

## प्ररूप संख्या - 7 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 91 के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
9	रूप में देय रू0 की रकम अदा न करने के कारण ख को आपसे अभिग्रहण कर लिया गया था।
और उक्त माल/यान(यानों)/पशु(पशुओं) पर करने में असफल रहे हैं।	चुंगी कर/सीमा कर/पथ कर के रूप में रू. जमा
का 41) की धारा 91 की उपधारा (3) के माल/यान(यानों)/पशु(पशुओं) की बाबत चुंगी कर/र्स	का मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 ह अनुसरण में आपको सूचना देता हूं कि नीचे सूचीबद्ध गीमा कर/पथ कर के रूप मेंको नीलामी द्वारा बेचा जाएगा।
	के अतिरिक्त उक्त माल माल/यान(यानों)/पशु(पशुओं) के अभिग्रहण, सूल किया जाएगा, यदि उक्त रकम और व्यय, नीलामी द्वारा विक्रय के
छावनी बोर्ड कार्यालय	
संख्या	
तारीख	भवदीय,
	हस्ताक्षर
	नाम
	पता
माल/यान(य	ानों)/पशु(पशुओं) की सूची
1	
2	
3	
4	

## छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 116 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
आपके अधिभोग में नाम से ज्ञात इम् रकम/वार्षिक मूल्य को अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए जानक	
अत: अब मैं अर्थात छावनी बोर्ड क इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर नाम से आवश्यक सूचना दें। 15 दिन के अंदर सूचना देने में असफल रहने य या विश्वास के अनुसार सही नहीं है, आप उक्त अधिनियम की धारा 1	। ज्ञात सम्पत्ति के बाबत दूसरी ओर दिये गए प्ररूप में । ऐसी सूचना देने की दशा में, जो आपके सर्वोतम ज्ञान 16 की उपधारा (2) के अधीन जुर्माने से, जिसे 5000
रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होंगे और इमारत/भूमि का कर	, दायित्व/निर्धारित की जाने वाली रकम/वार्षिक मूल्य
उतना विनिश्चित किया जाएगा, जितना मुख्य अधिशासी अधिकारी	। उचित समझता है। इस प्रकार किया गया निर्धारण
अंतिम होगा।	
छावनी बोर्ड कार्यालय संख्या तारीख	
	भवदीय,
	हस्ताक्षर
	नाम
	पता

## छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 116 के अधीन दी जाने वाली जानकारी

- 1. मकान संख्या, सड़क और परिक्षेत्र
- 2. स्वामी का नाम और पता
- 3. उत्तराधिकारी/क्रय की तारीख
- 4. सम्पत्ति के लिए संदत्त की गयी कीमत
- 5. (क) कच्चा या पक्का
  - (ख) कवर्ड क्षेत्र
- 6. मंजिलों की संख्या
- 7. प्रत्येक मंजिल में कमरों की संख्या, जिसके अंतर्गत भंडार, रसोई और स्नानग्रह भी हैं और उनकी दिशाएँ।
- 8. (क) आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग में है या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए
  - (ख) इमारत का उपयोग होटल, महाविद्यालय, विद्यालय, अस्पताल एवं कारखाना चलाने के लिए किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो कृपया पूरे ब्योरे दीजिए।
- 9. यदि कोई भाग किराए पर दिया गया है तो किरायेदारों के नाम, प्रत्येक को किराए पर दिया गया आवास और मासिक किराया।
- 10. क्या मकान में
  - (क) बिजली लगी है।
  - (ख) घरेलू पानी कनेक्शन है।
  - (ग) स्वच्छ शौचालय है।
- 11. क्या मकान को राज्य सरकार के सम्पत्ति कर के लिए निर्धारण किया गया है। यदि हाँ तो, उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी द्वारा नियत निर्धारण की रकम कितनी है और निर्धारण किस तारीख से लागू है।

स्वामी/अधिभोगी/किराएदार के हस्ताक्षर

## प्ररूप संख्या - 9 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 136 के खंड (क) के अधीन सूचना

सेवा में,		
महोदय/	महोदया,	
	यह देखा गया है कि :	
*(1)	आपकी इमारत/भूमि # की हौदी न्यूसेंस कर रही है अ	गौर उसे बंद रखना आवश्यक है।
*(2)	आपकी इमारत/भूमि में गंदगी के इक्कट्टा करने के इमारत/भूमि में मल इक्कट्टा हो रहा है।	पात्र को साफ हालत में नहीं रखा गया है आपकी
	आपकी इमारत / भूमि पर प्राइवेट शौचलय / ज रिसना या बहना पड़ोसियों और गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए	<i>*</i> (
	आपकी इमारत/भूमि # में कचरा या दुर्गंधयु उने दिया गया है।	क्त पदार्थ इक्कठा होने दिया गया है, इसके नीचे या
136 के गए मल	अब मैं, अर्थात छावनी बोर्ड का मुख्य अधिशा खंड (क) के उपखंड** के अनुसरण में आप दिन के अंदर उस हौदी को बंद कर दे/गंदगी को इक्कत को हटा दें/ नित्य के गंदे पानी को सार्वजनिक स्थान में बहना रे की व्यवस्था करें/मरम्मत करें/ कचरे को हटाएँ/निर्मल करें।	ाको सूचना देता हूँ कि आप इस सूचना की प्राप्ति के ठा करने के पात्र को साफ हालत में रखें/इक्कठा हो
	बोर्ड कार्यालय 	
तारीख		
		मुख्य अधिशासी अधिकारी
		छावनी बोर्ड
		(बोर्ड की मुहर )
•	गवश्यक न हो उसे काट दें।)	
	या भूमि के ब्योरे दें।	
**यहां	धारा 136 के खंड (क) की संबन्धित उपधारा का उल्लेख करें।	

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 136 के खंड (ख) खंड (ग) के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/ग	महोदया,
	यह देखा गया है कि :
	आपकी इमारत/भूमि # से सार्वजनिक नाली में जाने वाली नाली का बनाना या उसमे परिवर्तन किना आवश्यक है।
	आपके नियंत्रण में की नाली साफ नहीं है/नाली की मरम्मत आवश्यक है/नाली में परिवर्तन किया जाना गाली को अच्छी हालत में रखना आवश्यक है।
सार्वजिन	अतः अब मैं, छावनी बोर्ड का मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी अधिनियम, 2006 कि धारा खंड* (ख)/खंड* (ग) के अनुसरण में सूचना देता हूँ कि आप इस सूचना की प्राप्ति के दिनों के अंदर क नाली में जाने वाली, उक्त नाली को बनाने या उसके परिवर्तन करने रोकने/साफ करने/निर्मल करने/इसकी करने/उसे अच्छी हालत रखने की सूचना देता हूं।
छावनी ब	बोर्ड कार्यालय
संख्या	
तारीख	
	भवदीय,
	मुख्य अधिशासी अधिकारी
	छावनी बोर्ड
	(बोर्ड की मुहर)
# <b>ਮ</b> ਕਜ ਟ	ग भिम के ब्योरे दें।

#भवन या भूमि के ब्योरे दें।
\*जो आवश्यक न हो उसे काट दें।

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 137 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
	स्थय अधिकारी/सहायक स्वास्थ्य अधिकारी की राय में आपकी कुआं/तालाब/जलाशय/सिस्टर्न/पात्र जिसमें पानी जमा किया जाता जनन का स्थान होना संभव है।
	के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से छावनी अधिनियम आपको सूचना देता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति के को भर दें/ढक दें।
(प्राधिकरण: छावनी बोर्ड संकल्प संख्या	)
(#संपत्ति का ब्यौरा)	
छावनी बोर्ड कार्यालय संख्या	
तारीख	भवदीय,
	मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी बोर्ड (बोर्ड की मुहर)

## प्ररूप संख्या - 12 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 138 के खंड (क) के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
9	कि आपके स्वामित्वाधीन/अधिभोगाधीन भूमि/इमारत/मकान में, जो लय/मूत्रालय/हौदी/धूलिभांड/गंदगी, मल या कचरे के पात्र/ अतिरिक्त । चाहिए।
	नी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम । सूचना देता हूँ कि आपके उक्त स्वामित्वाधीन भूमि/इमारत/मकान में ॥ जाए:
(यहां शौचालय/मूत्रालय/हौदी आ	दि की रीति को विनिर्दिष्ट करें)
(# संपत्ति का ब्यौरा)	
छावनी बोर्ड कार्यालय संख्या	
तारीख	भवदीय,
	मुख्य अधिशासी अधिकारी
	छावनी बोर्ड
	(बोर्ड की मुहर)

## प्ररूप संख्या - 13 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 139 के अधीन सूचना

सेवा में,	
मुख्य अधिशासी अधिकारी	
छावनी बोर्ड	
महोदय/महोदया,	
मैं (यहां स्थापना का नाम दें) के नियोजक की हैसिय	त से छावनी
अधिनियम, 2006 की धारा 139 के अधीन आपको सूचना देता हूँ कि मैं छावनी	
स्थापना (स्थापना का नाम) में व्यक्तियों को तारीख से व	र्मचारियों के
रूप में नियोजित कर रहा हूँ।	
स्थान	
तारीख	
भवदीय,	
हस्ताक्षर	
नाम	
पता	
प्ररूप संख्या - 14	
छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 140 के अधीन सूचना	
सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
यह देखा गया है कि :	

\*(1) आपके स्वामित्वाधीन/नियंत्रणाधीन प्राइवेट शौचालय/मूत्रालय, इसके बाद सार्वजनिक उपयोग के लिए काम में नहीं लाया जाना चाहिए;

*(2)	आप जो प्राइवेट शौचालय / मूत्रालय बना रहे हैं/मरम्मत करा रहे	ं हैं वह नहीं बनाया जाना चाहिए/ उसकी मरम्मत
नहीं की	ो जानी चाहिए, जब तक कि मुख्य अधिशासी अधिकारी या मुख्य	अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी
(यहां ब	बोर्ड के निरीक्षण पदाधिकारी के नाम का उल्लेख करें) उसका निरीक्ष	क्षण नहीं कर लेता और प्रमाणित नहीं कर देता कि
उक्त शौ	गैचालय / मूत्रालय छावनी बोर्ड द्वारा तारीख	वो अनुमोदित आदर्श
प्लान वे	के अनुरूप है। (जिसकी प्रतियाँ छावनी बोर्ड के कार्यालय में नि:शुत	न्क उपलब्ध हैं)
*(3)	आपके स्वामित्वाधीन/ नियंत्रणाधीन प्राइवेट शौचालय/मूत्रालय	सार्वजनिक न्यूसेंस है।
*(4)	आपके स्वामित्वाधीन/ नियंत्रणाधीन शौचालय	
	(क) वहाँ से जाने वाले व्यक्तियों/पड़ोस में रहने वाले निवासि	यों को नज़र आता है।
	(ख) नीचे विनिर्दिष्ट रीति से साफ रखने की आवश्यकता है।	
	आपके स्वामित्वाधीन/नियंत्रणाधीन नाली ढकी हुई नहीं है औ यकता है।	ार उसे निम्नलिखित∕विनिर्दिष्ट रीति से ढकने की
(यहाँ ढ	इकने की उपरोक्त रीति विनिर्दिष्ट करें)	
अत:, ३	अब मैं, छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशास	ी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम
	की धारा 140 के खंड \$के अनुसरण में आपवे	
_	र शौचालय/मूत्रालय/नाली	
इसके प	पश्चात विनिर्दिष्ट रीति से बनाई जाए/मरम्मत की जाए/हटा दी जाए/ब	ांद कर दी जाए/साफ कर दी जाए/ढक दी जाए।
 छावनी	 । बोर्ड कार्यालय	
संख्या .		
तारीख.		
	9	मवदीय,
	ह	इस्ताक्षर
	<del>-</del>	गम
	τ	गता
(* जो उ	आवश्यक न हो उसे काट दें।	

(\* जो आवश्यक न हो उसे काट दें। \$ यहाँ खंड विनिर्दिष्ट करें \*\* इमारत या भूमि का विवरण दें।)

## छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 142 की उपधारा (3) के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 142 की उपधारा (1) छावनी बोर्ड, की यह राय है की नीचे सारणी में उपदर्शित होने का जोखिम है/लोक स्वास्थ्य के लिए खतरा है।	
और, बोर्ड का समाधान हो गया है कि उक्त इमारत/इमारतों को तत्काल	हटाना आवश्यक है।
अत:, अब मैं, छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशार 2006 की धारा 142 की उपधारा (3) के अनुसरण में, आपके दिनों के अंदर उक्त इमारत/इमारतों को हटा दिया	ो सूचना देता हूँ, कि इस सूचना की प्राप्ति के
(प्राधिकरण: छावनी बोर्ड संकल्प संख्या तारीख .	)
छावनी बोर्ड कार्यालय संख्या	
तारीख	
	मुख्य अधिशासी अधिकारी
	छावनी बोर्ड
	(बोर्ड की मुहर)

सारणी (यहाँ संबन्धित इमारत (इमारतों) का विवरण दीजिए)।

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,		
महोदय/महोदया,		
बोर्ड की राय में इमार रही हैं, इतनी अतिसंकुलित है कि उसमे रहने वालों क	रत/इमारतों या इसके भाग, जो आवासगृह के रूप में काम में लाई ज स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है।	जा
की धारा 143 की उपधारा (1) के अनुसरण में आपव निवासियों/किराएदारों/अन्य निवासियों की संख्या व	ुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से छावनी अधिनियम 20 को सूचना देता हूँ कि उक्त इमारत से* तक उस् को घटा कर उस अतिसंकुलन को दूर कर दें। उपर्युक्त अपेक्षा की धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन अभियोजन के दायी होंगे	प्रके के
(प्राधिकरण: छावनी बोर्ड संकल्प संख्या	)	
छावनी बोर्ड कार्यालय संख्या		
तारीख	भवदीय,	
	मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी बोर्ड (बोर्ड की मुहर)	

(\*इसके पश्चात उन रहने वाले निवासियों/किराएदारों/अन्य व्यक्तियों के ब्यौरे दे जिनकी संख्या में कमी की जानी है)

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 144 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
	स्थित आपके स्वामित्व/अधिभोग के अधीन इमारत/इमारतें व्रास्थ्यकर दशा में है और उसमें, निम्नलिखित मरम्मत/परिवर्तन करने
की आवश्यकता है :	
(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
•	अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 की त्रूचना देता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति के दिन के अंदर
(प्राधिकरण: छावनी बोर्ड संकल्प संख्या	)
छावनी बोर्ड कार्यालय संख्या	
तारीख	भवदीय,
	मुख्य अधिशासी अधिकारी
	छावनी बोर्ड
	(बोर्ड की मुहर)

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 145 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
आपके स्वामित्व / अधिभोग के अधीन भूमि/इमा रहने वालों के लिए न्यूसेंस है/ * में नागफनी/मोथा घास/हार्गि	रतगंदी/अस्वास्थ्यकर हालत में है। * पड़ोस में नेकर वनस्पति की अधिकता है।
अधिनियम, 2006 कि धारा 145 कि उपधारा (1) के अ	ई के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी ानुसरण में आपको सूचना देता हूँ कि इस सूचना की प्राप्ति के के अधीन भूमि/इमारत/इमारतों की सफाई करें, लत में रखें।
छावनी बोर्ड कार्यालय	
संख्या	
तारीख	भवदीय,
	मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी बोर्ड (बोर्ड की मुहर)
(* जो आवश्यक न हो उसे काट दें।)	

## प्ररूप संख्या - 19 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 147 के अधीन सूचना

#### सूचना

	इस इमारत (यहां इमारत के ब्यौरे दें) के हर स्वामी या अधिभोगी को सूचित किया जाता है कि उक्त पूरी इमारत य
उसका .	भाग मानव आवास के लिए अनुपयुक्त है। अत: जब तक छावनी बोर्ड
उसे ऐसे	प्रयोग के लिए उसे उपयुक्त घोषित नहीं करता तब तक आप उसको निवास के लिए काम में नहीं लाएँगे।

(प्राधिकरणः छावनी बोर्ड संकल्प संख्या तारीख	)
छावनी बोर्ड कार्यालय	
संख्या	
तारीख	भवदीय,
	मुख्य अधिशासी अधिकारी
	नुख्य जायसासा जायकारा छावनी बोर्ड
	(बोर्ड की मुहर)
	(410 411 300)
	. 20
प्ररूप संख्या छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41	
सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
यह देखा गया है कि आपके स्वामित्व या अधिभोग के गया है जो पड़ोस के निवासी व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए क्षतिक	अधीन उद्भित भूमि/इमारत में अनिष्टकर/ झाड़-झंखाड़ हो र/अरूचिकर है;
अस्त अस्त में <del>अस्ति कोर्न</del> ने महस्त अधिकारणी व	were the state of the same same of the same same of
अतः अब मैं, छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी उ धारा 145 कि उपधारा (1) के अनुसरण में आपको सूचना	
दिनों के अंदर साफ कर दें और हटा दें।	यता तू वर्ग उत्तर सूचि वयम स उत्तर शाक्- शखाक् यत
छावनी बोर्ड कार्यालय	
छावना बाड कायालय संख्या	
तारीख	भवदीय,
	गमसाम,
	मुख्य अधिशासी अधिकारी
	नुख्य जायसासा जायकारा छावनी बोर्ड
	(बोर्ड की मुहर)

## प्ररूप संख्या - 21 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 150 के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
आपके स्वामित्व/प्रभार के अधीन कब्रिस्त निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। (यह	नान/शमशान के बारे में, की दशा, प्रबंध उपस्थिति के बारे में i अपेक्षित जानकारी विनिर्दिष्ट करें)
9	अधिशासी अधिकारी कि हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 की प्र सूचना की प्राप्ति के दिन के अंदर उक्त
छावनी बोर्ड कार्यालय	
संख्या	
तारीख	भवदीय,
	मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी बोर्ड (बोर्ड की मुहर)
	ूप संख्या - 22 06 का 41) की धारा 158 के अधीन सूचना
सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
	ने यह प्रमाणित किया है कि संक्रामक/सांसर्गिक (रोग का नाम) द्वारा छावनी बोर्ड में दूध के प्रदाय का माना जा सकता है।

अतः अब मैं, छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी उ धारा 158 के अनुसरण में आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचन	ना की प्राप्ति केदिन के अंदर मुझे अपने र	सभी
ग्राहकों के नाम और पतों की विस्तृत और पूरी सूची भेज दें जिस	ससे कि उन व्यक्तियों का, जिन्हें आपने दूध बेचा है,	पता
लगाना संभव हो सके।		
छावनी बोर्ड कार्यालय		
संख्या		
तारीख	भवदीय,	
	मान्य अधिकामी अधिकामी	
	मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी बोर्ड	
	(बोर्ड की मुहर)	
	9.7	
प्ररूप संख्या	Τ - 23	
छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41	1) की धारा 159 के अधीन सूचना	
सेवा में,		
महोदय/महोदया,		
स्वास्थ्य अधिकारी ने यह प्रमाणित कर दिया है कि, संक्रामक/स	सांसर्गिक रोग का फैलना निर्वा	दित
करने की दृष्टि से (रोग का नाम) आपके ग्राहकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है;		
( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	
अत:, अब मैं, छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी	अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006	कि कि
धारा 159 अनुसरण में आपको सूचना देता हुँ कि इस सूचना की प्र	प्राप्ति के दिनों के अंदर स्वास्थ्य अधिकारी	को.

छावनी के अंदर सभी ग्राहकों के जिनके कपड़े और अन्य चीज़ें आप धोते हैं या इस सूचना की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती छ: सप्ताहों के दौरान धोये हैं, नाम और पते की विस्तृत और पूरी सूची दी जाए।

छावनी बोर्ड कार्यालय	
संख्या	
तारीख	भवदीय,
	मुख्य अधिशासी अधिकारी
	छावनी बोर्ड
	(बोर्ड की मुहर)
प्ररूप संख्या - 2	
छावनी अधिनियम. 2006 (2006 का 41) र्क	ो धारा 162 के अधीन सूचना
सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
स्वास्थ्य अधिकारी ने रिपोर्ट दी है कि छावनी में,	
*(क) आपकी डेरी से प्रदाय किए गए दूध के उपभोग से	
*(ख) आपके द्वारा कपड़ों या अन्य चीजों की धुलाई/कपड़ों या ची के काम में लाई गई प्रक्रिया से	जों की (स्थान का नाम) पर धुलाई
संक्रामक या सांसर्गिक रोग पैदा हुआ है/पैदा होना संभव है।	
अत:, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 162 के खंड अधिशासी अधिकारी की हैसियत से निर्देश देता हूँ कि, जब तक आगे	

*(क) आपकी डेरी से किसी व्यक्ति को दूध का प्र	दाय नहीं किया जाना चाहिए।
	नाम) पर इस प्रयोजन के लिए अपनाई गयी रीति में अर्थात हिए/कपड़ों/चीजों की धुलाई की प्रक्रिया नहीं अपनाई जार्न
छावनी बोर्ड कार्यालय	
संख्या तारीख	भवदीय,
	मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी बोर्ड (बोर्ड की मुहर)
(*जो आवश्यक न हो उसे काट दें।)	
प्ररूप सं	ख्या - 25
छावनी अधिनियम,	2006 (2006 का 41)
की धारा 168	के अधीन सूचना
सेवा में,	

महोदय/महोदया,

.....

बोर्ड की राय है कि संक्रामक/सांसर्गिक रोग फैलने के निवारण/रोकथाम के लिए आपकी इमारत/इमारत के किसी भाग की सफाई और विसंक्रामण/ इमारत के फर्श/इमारत की चीजों को हटाना आवश्यक है;

· ·	अधिशासी अधिकारी होने की हैसियत से आपको छावनी	
अधिनियम, 2006 की धारा 168 के अनुसरण में इस सूचना की प्राप्ति के दिन की अवधि के अंदर नीचे विनिर्दिष्ट इमारत/इमारत के भाग की सफाई/विसंक्रामण करने/भवन के फर्श/ भवन की चीजों को हटाने की सूचना देता हूं।		
	<u> </u>	
	(यहाँ ब्यौरा दीजिए)	
(प्राधिकरण : छावनी बोर्ड संकल्प संख्या दिनांव	रू)	
	भवदीय,	
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी	
संख्या	छावनी बोर्ड	
दिनांक	(बोर्ड की मुहर)	
प्ररूप संर	<b>ज्या - 2</b> 6	
छावनी अधिनियम, 2	2006 (2006 का 41)	
की धारा 169 की उप-ध	_	
सेवा में,		
महोदय/महोदया,		
बोर्ड की राय है कि संक्रामक/सांसर्गिक रोग	फैलने के निवारण/रोकथाम के लिए में	

स्थित आपके स्वामित्व वाले सायबान/झोपड़ी \* और उसकी सामग्री को नष्ट किया जाना आवश्यक है;

अतः, मैं, छावनी बोर्ड का मुख्य अधिक अधिनियम, 2006 की धारा 169 के अनुसरण में सूचना देता हूं वि अविध के अंदर पूर्वोक्त <sup>*</sup> सायबान/झोपड़ीऔर उसकी सामग्री को न	त आप इस सूचना की प्राप्ति के <sup>**</sup> घंटे∕दिन  की		
(प्राधिकरण : छावनी बोर्ड संकल्प संख्या तारीख	)		
	भवदीय,		
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी		
संख्या	छावनी बोर्ड		
तारीख	(बोर्ड की मुहर)		
प्ररूप संख्या .	27		
ग्रह्मप संख्या छावनी अधिनियम, 2006			
की धारा 169 की उप-धारा (2) के अधीन सूचना			
सेवा में,			
महोदय/महोदया,			
बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से, मेरा समाधान हो गया है	के कि*संक्रामक/सांसर्गिक रोग		
फैलना निवारित करने के प्रयोजन के लिए में स्थित, आपके स्वामित्व/अधिभोग वाली सायबान/झोपड़ी*			
को तत्काल नष्ट करना आवश्यक है;			
अतः, अब, मैं,छावनी बोर्ड के अध्यक्ष की है	सियत से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 169 की		
उपधारा (2) के अनुसरण में, आपको सूचित करता हूँ कि आपके	स्वामित्व/अधिभोग वाली उक्त सायबान/झोपड़ी* तुरंत		

नष्ट कर दी जाए। उक्त सायबान/झोपड़ी को नष्ट कर	रने में आपके असफल रहने की दशा में, इसे बोर्ड इस सूचना की प्राप्ति के
** घंटो के अंदर नष्ट कर देगा।	
	भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	अध्यक्ष
सं	छावनी बोर्ड
दिनांक	(बोर्ड की मुहर)
(*जो आवश्यक न हो, उसे काट दें।)	
(**यहाँ अवधि का	उल्लेख करें, जो कि 2 घंटे से कम न हो)
	प्ररूप संख्या - 28
छावनी अधि	धेनियम, 2006 (2006 का 41)
की धारा 176 की उप	धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन सूचना
सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
	थत आपके स्वामित्व/नियंत्रणाधीन कूप/तालाब(अन्य
स्थान ) के पानी को यदि पीने के काम में लाया गया	तोरोग फैलने का खतरा पैदा होगा/फैल जाएगा।
•	ड्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006
	खण्ड (ख) के अनुसरण में आपको, सूचना देता हूं कि आप इस सूचना
को प्राप्त का ताराख स* *घट/दि को पानी का प्रयोग करने/रोकने के लिए निम्नलिखि	न के अन्दर, उक्त कूप/तालाब/ (अन्य स्थान) से जनता त कदम उठाएं।
(यहां उठाए जाने वाले उपायों का विवरण दें)।	
(1)	
(2)	

(3)	
	भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की मुहर)
(*जो लागू न हो उसे काट दें।)	
छावनी अधिनि	प संख्या - 29 यम, 2006 (2006 का 41) 77 के अधीन सूचना
सेवा में,	
·	
महोदय/महोदया,	
यह रिपोर्ट मिली हैं कि की गयी है।	ा मृत्युसंक्रामक/सांसर्गिक रोग से हो
अतः, अब मैं,छावनी बोर्ड के मुख्य अ धारा 177 के खण्ड (क)/खण्ड (ख) के अनुसरण में आप	धिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, 2006 की को, सूचना देता हूं :
*(क) उसे शव गृह	ले जाएं।
*(ख) शव को शवग् शव को हटाएं।	ृह पर, *दफनाए जाने∕जलाए जाने∕ले जाने के प्रयोजन के लिए,
	भवदीय,
 छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या	मुख्य आयशासा आयकारा छावनी बोर्ड
संख्या तारीख	
તાવલ	(बोर्ड की मुहर)
(*जो आवश्यक न हो, उसे काट दें।)	

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 182 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,			
महोदय/महोदया,			
यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि	ऽ आप	. संक्रामक/सांसर्गिक रोग	ा से पीडित हैं:
अतः, अब मैं,ह अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अनुसरण में आपको, सूचना देता हूं चिकित्सा परीक्षा के लिए हाजिर हों। अ जाएंगे।	ो की हैसियत से, छावनी अ ्कि आप	धिनियम, 2006 की ध (तारीख) को	ारा 182 की उपधारा (1) के बजे (समय)
		भ	वदीय,
छावनी बोर्ड कार्यालय		स्वास्थ्य अधिकारी/	
संख्या		प्रभारी चि	कित्सा अधिकारी
तारीख		अस्पत	ाल
(मुहर)			

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

# की धारा 190 के अधीन सूचना

सेवा में,		
•••••		
•••••		
महोदय/महोदर	होदया,	
आपके स्वामि	गमित्व/नियंत्रणाधीनस्थित लोक जल प्रदाय के स्रोत, (कूप	प आदि का नाम) जिनका पानी
पीने के प्रयोज	गोजनों के काम में आता है:-	
*(ক)	(क) अच्छी हालत में नहीं हैं/से गाद/कचरा/सड़ी गली पत्त्यां आदि की सफाई	नहीं की गई हैं,
*(ख	(ख) को नीचे विनिर्दिष्ट रीति से संदूषण से बचाए रखा जाना चाहिए:-	
*(¶)	(ग) पानी पीने के प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त है,	
	। मैं,छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से,	, छावनी अधिनियम, 2006 की
	के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूं:	
*(क) करे।	(क) पूर्वोक्त *कूप/जल प्रदाय को अच्छी हालत में बनाए रखें/में से गाद/कच	गरा/सड़ी गली पत्तियों को साफ
	(ख) पूर्वोक्त कूप/जल प्रदाय को प्रदूषित होने से ऐसी रीति से बचाए रखें जो नी	वे विनिर्दिष्ट की गई हैं :
 (प्रदूष	प्रदूषण से बचाए रखने के लिए अपनाई जाने वाली रीति यहां विनिर्दिष्ट करें)।	
*(ग)	(ग) लोक साधारण की उस कूप/जल प्रदाय के पानी का उपयोग करने के लिए	
सूचन करें।	न्चना की प्राप्ति केदिन के अन्दर नीचे विनिर्दिष्ट रीति रं	ने पहुंच निवारित करने के उपाय
•••••	(यहां निवारित करने की रीति विनिर्दिष्ट करें )	
	भवदीय	
 छावनी बोर्ड व	 र्ड कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी	
संख्या	छावनी र	
तारीख	(बोर्ड की मुहर)	
(*जो आवश्य	प्रश्यक न हो, उसे काट दें।)	

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 192 के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
यह प्रतीत होता है कि, आपके स्वार् समुचित आपूर्ति नहीं है,	मेत्व/अधिभोग वाली इमारत/भूमि में शुद्ध जल की
	मुख्य अधिशासी अधिकारी के रूप में, छावनी अधिनियम, 2006 की धार के स्वामी/अधिभोगी के रूप में सूचना देता हूं कि
3	स्म की संचार पाइप और उक्त भवन के दखलकार व्यक्तियों/उक्त भूमि मे
•	(यहां लोक जल प्रदाय
का स्रोत विनिर्दिष्ट करें) से जल की पर्याप्त मात्रा प्र	प्राप्त करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।
(यहां संचार पाइपों के आकार और किस्मों की ि	वेशिष्टियां विनिर्दिष्ट करें)।
भवदीय,	
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की महर)

# प्ररूप संख्या - 33 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 195 के खण्ड (क) के अधीन सूचना

सेवा में,	
*3	ाधिकारी
छा	वनी बोर्ड
मैं, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 195 के खण्ड (	क) के अनुसरण में भूमि/भवन(भूमि/भवन
का विवरण) का स्वामी/अधिभोगी/पट्टेदार होने की हैसिय	ात से, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 195 के खण्ड (ख) के
अनुसरण में आपको सूचना देता हूं कि, पाइपों/नालों/अ	ान्य मरम्मत कार्य न करने के कारण उक्त भूमि/भवन में जल की
बरबादी हो रही हैं।	
कृपया इस ओर ध्यान दें।	
भवदीय,	
हस्ताक्षर	
	नाम
	पता
स्थान:	
तारीख:	
(*अधिकारी का पदनाम)	

## प्ररूप संख्या - 34 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 195 के खण्ड (ग) के अधीन सूचना

होदया,								
ालदर/प्रभार* <sup>*</sup>	k	•••••		. को अदा करने	ने में उपेक्ष	•		
गरीख से	1	दिन से अ	धिक की अ	वधि बीत गई हैं,				
बोर्ड के अ	धिकारी/कर्मचारी	को		तारीख	को अ	पने स्वामित्व		
		न			. भूमि/इमा	ारत में जानबृ	झकर/उपेक्षा	ंसे जल
					- •		कर्म से जल	प्रवाहित
					- •			कनेक्शन
की किस्म वि	निर्दिष्ट करें।							
		•				प्ते, छावनी अ	धिनियम, 2	006 की
	होदया, अपने स्व लदर/प्रभार* गारीख से अपने स्वामित्य भेपने स्वामित्य	होदया, अपने स्वामित्व/दखल लदर/प्रभार** गरीख से	अपने स्वामित्व/दखल के लदर/प्रभार**	होदया, अपने स्वामित्व/दखल के अधीन लदर/प्रभार**	होदया,  अपने स्वामित्व/दखल के अधीन  लदर/प्रभार** को अदा करने  गरीख से किया है हैं,  ग्रावनी अधिनियम, 2006 की धारा 195 के खण्ड (ख) के अधीन य  बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारी को तारीख  मूमि पर/इमारत में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी है/निवार्ण  अपने स्वामित्व/दखल के अधीन  मीटर/पाइप/टोंटी को जानबूझकर/उपेक्षा से क्षतिग्रस्त किया है/नुकस  अपने स्वामित्व/दखल के अधीन  मीटर/पाइप/टोंटी को जानबूझकर/उपेक्षा से क्षतिग्रस्त किया है/नुकस  अपने स्वामित्व/दखल के अधीन  मीटर/पाइप/टोंटी को जानबूझकर/उपेक्षा से क्षतिग्रस्त किया है/नुकस  अपने स्वामित्व/दखल के अधीन  क्षां में है, मरम्मत के लायक नहीं है और उसके कारण  की किस्म विनिर्दिष्ट करें।  में मैं,	होदया, अपने स्वामित्व/दखल के अधीन	होदया,  अपने स्वामित्व/दखल के अधीन	होदया, अपने स्वामित्व/दखल के अधीन

प्राप्ति के दिन की अवधि के अन जाएगा/काट दिया जाएगा।	दर पूर्वोक्त भूमि/इमारत के जल प्रदाय को बन्द कर दिया
भवदीय	
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की मुहर)
प्ररूप संर छावनी अधिनियम, 2 की धारा 242 के	2006 (2006 का 41)
सेवा में, मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी बोर्ड 	
छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 242 के अनुसर संकल्प सं तारीख/आपके द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार न	
कृपया इसे नोट कर लें।	
(यह सूचना पक्षकार द्वारा इमारत को बनाने/पुनः बनाने के 30 ी	दिन के अन्दर दी जानी चाहिए)
	भवदीय,
	हस्ताक्षर नाम पता
स्थान: तारीख:	

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

## की धारा 248 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,			
महोदय/महोदया,			
(जिसे इसके पश्चात्		ग है) बनाया जाना/पुनःबनाय	पर लिए गए, नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट इमारत का । जाना छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)
2006 (2006 का उक्त इमारत का	41) की धारा 248 की बनाया जाना/पुनः	ो उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शत्ति	ासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम क्यों का प्रयोग करते हुए, आपको सूचना देता हूं कि स्या जाय और उक्त भवन को उक्त अनुसूची जाए।
इमारत का नाम	इमारत का	अधिनियम की	इमारत के ढ़हाने
Z	अवस्थान	धारा 247 के	और पुनः बनाए
		उल्लंघन में स्वामी/	जाने के बारे में
		दखलकार/पट्टेदार	विनिर्देशन
		द्वारा प्रारम्भ किए गए	
		संनिर्माण के ब्यौरे	
(1)	(2)	(3)	(4)
(प्राधिकरणः छावर्न	ो बोर्ड के संकल्प सं	तारीख	जहां स्थान सिविल क्षेत्र से बाहर है) भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्याट	•		 मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या			 (बोर्ड की मुहर)
WING	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		(आठ या नुरुर)

[भाग II-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 37

## प्ररूप संख्या - 37 छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 248 की उपधारा (2) के अधीन सूचना

सेवा में,				
महोदय/महोदया,				
अधिनियम, 2006 (2 निलंबित कर दिया है कहा गया है) को* बना	006 का 41) की जिसके द्वारा बोर्ड ाने/पुनः बनाने की ग	धारा 248 की उपधारा (2) <sup>है</sup> ने नीचे की अनुसूची में विनिर्ा	तारीख द्वारा, छावनी के अधीन जारी किए गए बोर्ड के उस आदेश को र्देष्ट इमारत (जिससे इसमें इसके पश्चात् उक्त इमारत	
आर, उक्त इम	रित के उक्तः अनार	र जान/पुनः/अनाए जान का राव	कना आवरयक है,	
2006 (2006 का 41)	) की धारा 248 र्क ए जाने को रोकने/र	ो उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शत्ति उक्त इमारत को उक्त अनुसूची	सी अधिकारी की हैसियत से, छावनी अधिनियम, क्यों का प्रयोग करते हुए, आपको उक्त इमारत को* के स्तम्भ (4) के विनिर्दिष्ट रीति में ढ़हाने/परिवर्तन	
राग्यत का गा	इमारत का		कमान के मुख्य-	
इमारत का नाम	इमारत का अवस्थान	स्थाना/ दखलकार पट्टेदार द्वारा	कमान क मुख्य- समादेशक अधिकारी द्वारा	
	जपस्थान	पष्टपार द्वारा प्रारम्भ किए गए	सुझाए गए अपांतरणों के	
		प्रारम्म प्रिल्पार्थ संनिर्माण के ब्यौरे	अनुसार यह रीति जिसमें	
		सामनाण क ज्यार	अनुसार यह सात । जसम इमारत को ढाना/	
			परिवर्तन करना/पुनः	
			षारपरान करना/पुनः बनाया जाना चाहिए।	
(1)	(2)	(2)		
(1)	(2)	(3)	(4)	
			भवदीय,	
छावनी बोर्ड कार्यालय		मुख्य अधिशासी अधिकारी ————————————————————————————————————		
संख्या				
तारीख			(बोर्ड की मुहर)	

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

# की धारा 252 के अधीन सूचना

महोदय/महोदया,  आपने मुख्य अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना, अपनी इमारत में निम्नलिखित संरचनाओं के जोड़ा है/सिनर्माण किया है,  (1) (2) (3) (यहां भवन की संरचनाएं विनिर्दिष्ट करें) (4)  अतः, अब मैं,	सेवा में,		
आपने मुख्य अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना, अपनी इमारत में निम्नलिखित संरचनाओं के जोड़ा है,सिनिर्माण किया है,  (1) (2) (3) (यहां भवन की संरचनाएं विनिर्दिष्ट करें) (4)  अतः, अब मैं,			
आपने मुख्य अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना, अपनी इमारत में निम्नलिखित संरचनाओं के जोड़ा है,सिनिर्माण किया है,  (1) (2) (3) (यहां भवन की संरचनाएं विनिर्दिष्ट करें) (4)  अतः, अब मैं,			
आपने मुख्य अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना, अपनी इमारत में निम्नलिखित संरचनाओं के जोड़ा है,सिनिर्माण किया है,  (1) (2) (3) (यहां भवन की संरचनाएं विनिर्दिष्ट करें) (4)  अतः, अब मैं,			
जोड़ा है/सिनर्माण किया है,  (1) (2) (3) (यहां भवन की संरचनाएं विनिर्दिष्ट करें) (4)  अतः, अब मैं,	महोदय/	/महोदया,	
(2) (3) (यहां भवन की संरचनाएं विनिर्दिष्ट करें) (4)  अतः, अब मैं,	जोड़ा है	S S	बिना, अपनी इमारत में निम्नलिखित संरचनाओं के
अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 252 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूं कि आपको सूचना प्राप्ति वे दिनों के अन्दर पूर्वोक्त जोड़े गए भाग/संरचना/अधिक्रमण को ढा देना चाहिए।  भवदीय,  ण्ठावनी बोर्ड कार्यालय  संख्या छावनी बोर्ड तारीख छावनी बोर्ड (*गली/नहर/नाले/कुएं/तालाब में प्रक्षेपित है/का अतिक्रमण करती है।	<ul><li>(2)</li><li>(3)</li></ul>	(यहां भवन की संरचनाएं विनिर्दिष्ट करें)	
छावनी बोर्ड कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी संख्या छावनी बोर्ड तारीख (बोर्ड की मुहर) (*गली/नहर/नाले/कुएं/तालाब में प्रक्षेपित है/का अतिक्रमण करती है।		यम, 2006 (2006 का 41) की धारा 252 के अनुसरण में,	आपको सूचना देता हूं कि आपको सूचना प्राप्ति के
संख्या छावनी बोर्ड तारीख छावनी बोर्ड (बोर्ड की मुहर) (*गली/नहर/नाले/कुएं/तालाब में प्रक्षेपित है/का अतिक्रमण करती है।			भवदीय,
	संख्या .		छावनी बोर्ड
	(*गली/	/नहर/नाले/कृएं/तालाब में प्रक्षेपित है/का अतिक्रमण करती है।	
91 91193 997 1 (1), 931 971C 97		आवश्यक न हो, उसे काट दें)	

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

# की धारा 253 के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
	अनुज्ञा के बिना, स्थान मे ह मलनाल, नाली पुलिया, जल सरपी या जल नल रेखा का नाम) कोई
सरंचना/इमारत बना ली/पुनः बना ली हैः	
अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 253	ानी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी के अनुसरण में आपको इस सूचना प्राप्ति केदिन के अन्दर ोर्ड द्वारा आपके जोखिम और खर्चे पर हटा दिया जाएगा।
	भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की मुहर)

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 254 के अधीन सूचना

सेवा में,		
महोदय/महोदया,		
यह सूचित किया जाता है कि-		
*(क) आपके स्वामित्व/अधिभोग के अधीन इ	मारत भूमि	ने
बरसाती पानी के एकत्रण और बहाने के लिए नालि	यां और पाइप अच्छी हालत में नहीं हैं,	
*(ख) आपके स्वामित्व/अधिभोग के अधीन	इमारत/भूमि	और
	नाली/मलनाल को विनिर्दिष्ट करें) बीच कोई समुचित	
अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 25 अच्छी हालत में बनांए रखी जानी चाहिए और उर	विनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैिस् 54 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूं कि उक्त ना क इमारत/भूमि से पानी का निकास कारगर रूप से यह र की प्राप्ति केदिनों के अन्दर किया	लियां और पाइप सुनिश्चित करने के
(1)		
(2)		
(3)		
	भवदीय,	
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी	
संख्या	नुख्य आयरासा आययास छावनी बोर्ड	
तारीख	(बोर्ड की मुहर)	
(*जो आवश्यक न हो, उसे काट दें)		

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

# की धारा 261 की उपधारा (2) के अधीन सूचना

सेवा में				
महोदय	⁄महोदया,			
	अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में यह बात लाई है कि	ĵ <u>-</u>		
	*(क) आपके स्वामित्व/अधिभोग वाली		भूमि में	सीमा दीवार
झाडबन	दी/बाड़ अनुपयुक्त/असुन्दर/याक्षेप योग्य हैं।		- (	
*(ख)	आपके स्वामित्व/अधिभोग वाली	भूमि	। पर नीचे विनि	र्दिष्ट सामग्री वर्णन
आकार	की सीमा दीवार/झाडबन्दी/बाड़ का संनिर्माण क	रना आवश्यक है।		
	*(ग) आपके स्वामित्व/अधिभोग वाली		भूमि पर,	सीमा
दीवार/ः	झाडबन्दी/बाड़ को अच्छी हालत में बनाए रखना	आवश्यक है।		
	अतः, अब मैं,	मुख्य अधिशासी अधिकारी व	ने हैसियत से, इ	<u>ज्ञवनी</u> अधिनियम
	(2006 का 41) की धारा 261 की उपधारा (2)	के अनुसरण में, आपको सूचित	करता हूं कि इस	सूचना की प्राप्ति वे
	दिनों के अन्दर:			
*(==)				
	पूर्वोक्त भूमि पर सीमा दीवार/झाडबन्दी/बाड़ हत पूर्वोक्त भूमि पर नीचे विनिर्दिष्ट सामग्री वर्णन/अ		ਰੀ/ ਗਾਰ ਗਾ ਸ <u>ਾ</u> ਂਹਿ	रार्गण किया नाम
"(ख)	पूर्वाक्त मूमि पर नाच ।वानादष्ट सामग्रा वणन/अ	ाकार का सामा" दावार/झाडबन	<sup>-दा</sup> / षाड़ का सान	माण ।कथा जाए।
(यहां स	ामग्री, वर्णन या आकार के बारे में विनिर्देश दें)।		•••••	•••••
	पूर्वोक्त भूमि पर सीमा दीवार/झाडबन्दी/बाड़ क	ो अच्छी हालत में बनाए रखा ज	नाए।	
		•	•	
			भवदीय,	
छावनी	बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशा	सी अधिकारी	
संख्या .			छावनी बोर्ड	
तारीख		(बोर्ड	की मुहर)	
(*जो ३	मावश्यक न हो, उसे काट दें)			

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

# की धारा 262 के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
	त्व/अधिभोग वाली भूमि पर खड़े (यहां कारण बताएं) कारण से है,
अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 2	छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी १६२ के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूं कि इस सूचना की प्राप्ति के भूमि पर खड़े वृक्ष (वृक्षों) को गिर
दिया/छांट दिया/शाखाओं को कतर दिया जाना च	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(प्राधिकारः- छावनी बोर्ड संकल्प संख्या	)
	भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की मृहर)

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

# की धारा 264 के अधीन सूचना

सेवा में,					
महोदय/महोदया,					
अधोहस्ताक्षरी की खनन/पत्थर/मिट्टी		पके स्वामित्व/ अधि हटाया	प्रभोग वाली जाना		स्थित खदान का
पडोस में निवासी/जाने वाले		(यह	र्ग मुदा से हटाई जाने	वाली अन्य साम	
अतः, अब मैं, अधिनियम, 2006 (2006 वाली वाले न्यूसेंस को दूर करने के	का 41) की धारा	264 के अनुसरण में, स्थित भूमि में खतरे व	का निवारण करने/पैदा	हं कि, आपके स्व	त्रामित्व/ अधिभोग
(यहां उठाए जाने वाले कदम	 गों को यहां विनिर्दि	ष्ट करें)			
				भवदीय,	
			111. v 2160	<del>1</del>	
छावनी बोर्ड कार्यालय			मुख्य अधिशार		
संख्या				छावनी बोर्ड	
तारीख			(बोर्ड	की मुहर)	

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

# की धारा 280 के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
	ारा मंजूरी की गई अनुज्ञप्ति के अधीनके प्रयोजन नामक स्थान न्यूसेंस है/से यह संभाव्यतः है कि
अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 280 वे	बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी ह अनुसरण में आपको सूचना देता हूं कि पूर्वोक्त स्थान का उपयोग तारीख से बन्द कर दें/इसे किसी न्यूसेंस/खतरे से मुक्त i/सुधार करें।
(यहां किए जाने वाले परिवर्तनों, अभिवृत्तियों और सुध	ार के ब्यौरे दें।
(प्राधिकारः छावनी परिषद के संकल्प सं	तारीख)
	भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की मुहर)

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41)

# की धारा 292 की उपधारा (1) के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
क्षेत्र में झोंपड़ियों/इमारतों व	की लोक सूचना द्वारा यह निदेश दिया था कि छावनी के की छतें और बाहरी दीवारें, बोर्ड की लिखित अनुज्ञा के बिना बनाई नही शील सामग्रियों से न तो बनाई जाए और न नवीकृत की जाएं, और
अपने मुख्य अधिशासी अधिकारी की वि का नवीकरण घास, चटाईयां, पत्तियों या अन्य जल	लिखित अनुज्ञा के बिना, अपनी झोंपड़ी/इमारत की छत/दीवार (दीवारों) ननशील सामग्री से किया है,
प्रयोग करते हुए मैं	6 (2006 का 41) की धारा 292 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों क छावनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की भूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अन्दर अपनी झोंपड़ी/इमारत की
	भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की मुहर)

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 292 की उपधारा (2) के अधीन सूचना

(छतें), मुख्य अधिशासी अधिकारी की मंजूरी से/के बिना घास जलनशील पदार्थों से बनाई गई हैं,
है कि आपकी झोंपड़ी/इमारत की बाहरी (दीवारों)/छत (छतों) के हिए,
बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावर्न पधारा (2) के अनुसरण में, सूचना देता हूं कि, इस सूचना की प्राप्ति दिन के अन्दर, आपको झोंपड़ी/इमारत की बाहरी दीवारें/छतें हट
उक्त सामग्री की मूल लागत के रूप मेंरू दिन के अन्दर बोर्ड के कार्यालय से लिया जा सकता है।
भवदीय,
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी बोर्ड
(बोर्ड की मुहर)

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 297 के अधीन सूचना

सेवा में,		
महोदय/महोदया,		
9	य/गड्ढा/किनारा/वृक्ष (जो इससे उपाबद	के स्वामित्वाधीनभागतः/ स्वामित्वाधीन इ सारणी में वर्णित है) जर्जर हालत में है क है।
अधिनियम, 2006 (2006 का	41) की धारा 297 के अन् *** को/के इस सूचना दिन के अन्दर, हटाया जाए/उसकी मर	सी अधिकारी की हैसियत से, छावनी नुसरण में, सूचना देता हूं कि, की प्राप्ति की तारीख से म्मत संरक्षा की जाए, ऐसा करने में चूक जाएगा।
		भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य आ	धेशासी अधिकारी
मंख्या		छावनी बोर्ड

(बोर्ड की मुहर)

(\*किराएदार की दशा में "आपके" शब्दों का लोप किया जाएगा।

\*\*जो लागू न हो, उसे काट दें।

तारीख .....

\*\*\*यहां स्वामी/किराएदार की ओर से की जाने वाली कार्रवाई विनिर्दिष्ट करें)

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 298 के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
यह देखा गया है कि इमारत सं	/खाली प्लाट सं
निष्प्रयोग/विवादग्रस्त स्वामित्व/	के कारण अधिभोग में नहीं है, और निकम्में/विच्छृंखल
	ह के दृश्यमान साधन नहीं हैं/जो अपनी बावत समाधानप्रद लेखा
•	के लिये, अनैतिक प्रयोजनों के लिये या (अन्य प्रयोजन) के लिये
काम में लाई जा रही है और या उसके कारण न्यूसेंस होना स	तंभाव्य है।
अतः, अब मैंछावनी बो	र्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी
अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 298 के अ	नुसरण में, आपको सूचना देता हूं कि, इस सूचना की प्राप्ति की
तारीख से दिन	के अन्दर, उक्त इमारत सं खाली प्लाट सं.
को सुरक्षित करने और बाड़ा लगाने की व	सूचना देता हूं।
	भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की मुहर)
(*अन्य प्रयोजन विनिर्दिष्ट करें।	
**जो लागू न हो, उसे काट दें)।	

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 308 के अधीन सूचना

सेवा में,	
महोदय/महोदया,	
लिया है, और उक्त प्रयोजन के लिए बोर्ड की ओर से लिए, आपकी भूमि . सामग्री की प्रवृत्ति विनिर्दिष्ट करें) अर्थात मिट्टी,	ो (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त कार्य कहा गया है) अपने हाथ में ले ते उक्त कार्य को कर रहे अधिकारियों, कर्मचा चारिवृन्द और कर्मकारों के (यहाँ बजरी आदि जमा करने के लिए उक्त संवर्ग तक पहुंचने के लिए (यहां कोई अन्य
अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 3 कर्मचारिवृन्द और कर्मकार	वनी बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी की हैसियत से, छावनी 08 के अनुसरण में, आपको सूचना देता हूं कि, बोर्ड के अधिकारी पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए, तारीख (यहां तारीख विनिर्दिष्ट करें जो प्रस्तावित प्रविष्टि से तीन रो। आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्वामित्व/दखल के अधीन पूर्वोक्त (यहां क्षेत्र का उल्लेख करें) भाग में बाड़ लगा लें जिससे के उक्त कार्य का निष्पादन करने में समर्थ हो सकें।
(सारणी निर्दिष्ट काम के विवरण के साथ)	
	भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की महर)

# छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 320 के अधीन सूचना

सेवा में,	
विषय: छावनी बोर्ड द्वार	रा जारी सूचना का अनुपालन न होना।
महोदय/महोदया,	
(नियम/उपनियम का विवरण) के अन्तर्गत इस कार्यात	41) की धारा 320 के अन्तर्गत बनाए गए नियम/उपनियम लय के पंजीकरण संदिनांक आपको(चूककर्ता से नुपालन करने मे असफल रहे हैं।
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	006 का 41) की धारा 320 तारीखको दारीखदारा खारिज की गई हैं।
	6 (2006 का 41) की धारा 320 के अन्तर्गत उपर्युक्त 5 अन्दर अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने 5या जाएगा।
(प्राधिकार: छावनी बोर्ड संकल्प सं अनुरोध पर जारी किया गया था)।	तारीख यदि सूचना/आदेश/मांग बोर्ड के
	भवदीय,
छावनी बोर्ड कार्यालय	मुख्य अधिशासी अधिकारी
संख्या	छावनी बोर्ड
तारीख	(बोर्ड की मुहर)
	<del>-</del>

[फा. सं. 14(1)/2016-डी(क्यू एण्ड सी] मनीष ठाकुर, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF DEFENCE

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2017

**S.R.O. 2**(**E**).—Whereas the following draft of certain rules relating to the Cantonments (Forms and Manner of Service of Notices) Rules, 2016 was published as required under section 346 of the Cantonment Act, 2006 (41 of 2016), vide notification of the Government of India in the Ministry of Defence, S.R.O. 10(E), dated the 5<sup>th</sup> August, 2016, in the Gazette of India, Part-II, Section 4, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of sixty days from the date of publication of the said notification;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 5<sup>th</sup> August, 2016;

And whereas no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules by the Central Government, even after the expiry of a period of sixty days;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 346 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Cantonments (Forms and Manner of Service of Notices) Rules, 2017.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
  - (a) "Act" means the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);
  - (b) "Form" means Form annexed to these rules.
  - (2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- **3. Form of notices.**—All notices required to be served on any person under the Act shall be in the Forms annexed to these rules.
- **4. Manner of service of notices.**—Every notice issued under the Act to any person shall be served or presented-
  - (a) by giving or tendering the notice or sending it by post, to such person;
  - (b) if such person cannot be found, by affixing the notice on some conspicuous part of his last known place of abode or business, if within the cantonment, or by giving or tendering the notice to some adult member or servant of his family or by causing it to be fixed on some conspicuous part of the building or land, if any, to which it relates.
- **5. Application of provision of sections 316 to 321.**—The provisions of sections 316 to 321 of the Act shall apply to every notice issued under these rules.

### **Public notice under section 76 of the Cantonments**

Act, 2006 (41 of 2006)

		of assessment list as required under section 76 having been
duly given on		
=	_	
Officer will commence hearing of objections from		
publication of notice and date of hearing).		
This	notice is being displayed at	followings prominent places as required under section 319
	onments Act, 2006.	tone image prominent places as required under section (22)
1		
2		
3		
0		
Office of the	e Cantonment Board	Chief Executive officer
No		Cantonment Board
Dated		(Seal of the Board)
		(00 11 01 111 2 0 11 11)
		TODAY A
	T 1' '1 1	FORM No. 2
		notice under section 76 of the
	Cantonmo	ents Act, 2006 (41 of 2006)
To,		
••••		
••••		
Subject:	Revision of Assessment lis	t-Reg.
Sir/Madam,		

As required under section 76 of the Cantonments Act, 2006, notice is hereby given to you that the Chief Executive Officer has prepared a new Assessment list, public notice of which has

already been published on	(date) and that the assessment of
your property known as	has been increased from
Rs per annum. Th	ne revised assessment and valuation will be
considered by Chief Executive Officer on	
2. If you have any objection to the above assessment	ment, you should make the same in writing
before	g in what respect the assessment is disputed.
3. Any objection received from you after	(date) will not be
considered by the Chief Executive Officer.	
Office of the Cantonment Board	
No	
Dated	Chief Executive officer
	Cantonment Board
	(Seal of the Board)
Details of Assessment / Valuation	
2	
3	
FORM No.	
Notice under sub-section (2)	
Cantonments Act, 2006	(41 of 2006)
To,	
	•••
Sir/Madam,	
Whereas it has become necessary to amend the on the grounds specified below:	assessment list in the following manner and
(a) Dy inserting/emitting the games (a) of Shei/Sh	net IV m
(a) By inserting/omitting the name (s) of Shri/Sn whose name ought to have been inserted/om	

Sir/Madam,

(b) By inserting/omitting the property knowhich ought to have been or ought to be in	own asnserted or omitted;
	ssed through fraud, accident or mistake on the
	value of the property know as has increased over the last assessment from Rs to Rs ;
to Shri	om Shri in respect of property known as, where the tax in payable by the occupier;
Please take notice that if you have any object objection to the Chief Executive Officer before	tion to above amendments, you should submit your
(The time limit stated should not be less than 30 days fi	rom the date of notice).
Office of the Cantonment Board	Yours sincerely,
No	Chief Executive officer
Dated	Cantonment Board (Seal of the Board)
	M No. 4
	section 82 of the t, 2006 (41 of 2006)
	,,,
То,	
The Chief Executive Officer,	
Cantonmer	nt Board,

I/We hereby give notice as required by section 82 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) that I/We have completed the erection/re-erection of the building/occupied the building w.e.f.

on the	e plot NoSituated
atStreet/	Road in pursuance of sanction granted by the Board
vide C.B.R. No dated	/ the Chief Executive Officer, vide
letter No dated	
(The time limit for giving such notice is 30 day	rs from the date of completion or occupation of the
•	s from the date of completion of occupation of the
building, whichever is earlier).	
Dated	
	Yours sincerely,
	Signature
	Name
	Address
FOR	M No. 5
Notice under	section 86 of the
Cantonments Ac	et, 2006 (41 of 2006)
To,	
The Chief Executive Officer,	
Cantonme	nt Board,
Subject:-Notice of vacancy of property k	nown as
Sir/Madam,	
	6 of the Cantonments Act, 2006 that the property*
	ortion of the property) mentioned above is lying
	ee day of
20	,
This may please be noted.	
Dated	Yours sincerely,
Dated	Tours sincerery,
	Signature
	Name
	Address

(\*Here mention the particulars of the vacant portion of property.)

# Notice under section 88 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,	
The Chief Executive Officer,	
Cantonment	Board,
Subject: - Re-occupation of the property knows	own as
Sir,	
I/We hereby give notice under sub-section	(1) of section 88 of the Cantonments Act, 2006
(41 of 2006) that the property*	/ (portion of the property)
mentioned above has been re-occupied with effect	from the
day of	0
(The time limit for giving such notice is within 15 d	ays of such re-occupation)
Dated	Yours sincerely,
	Signature
	Name
	Address

(\*Here mention the portion of property.)

[भाग II – खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 57

## FORM No. 7 Notice under sub-section (2) of section 91 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,	
Sir/Madam,	
Whereas the following goods/vehicle (s)/animals (s the	
And whereas you have failed to deposit Rs towards Octroi/Terminal tax/Toll on the said goods/vehicle	
Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of state (41 of 2006), I, as the Chief Executive Officer of the Cantonment Board, hereby give you notice that the goods/v sold by auction on the day of	ehicle (s)/animal (s) listed below shall be
	Toll on accounts of the goods/vehicle
Take further notice that in addition to the	seizure, custody and sale of the said from you unless the said amount and
	Yours sincerely,
Office of the Cantonment Board	Chief Executive officer
No	Cantonment Board
Dated	(Seal of the Board)
List of goods/vehicle (s)/ar	nimal (s)
1	
2	
3	
4	

### FORM No. 8 Notice under sub-section (1) of section 116 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

То,	
Sir/Madam,	
Whereas it is necessary to have information for	the purposes of ascertaining the tax
liability/the amount to be assessed/the annual valu	ne of the building/land know as
•	
occupied by you;	
Now, therefore, I, as the Ch	nief Executive Officer of
	rd, hereby call upon you to furnish the
necessary information in the proforma overleaf i	n respect of property know as
within 15 days fr	rom the receipt of this notice. Failure to
furnish the information within 15 days or furnishing of info	•
•	
your knowledge or belief will make you liable for punishm	ent with fine which may extend to Rs.
5000/- under sub-section (2) of section 116 of the said Ac	t and the tax liability/the amount to be
assessed/the annual value of the building/land will be decid	led as the Chief Executive Officer may
deem proper. The assessment so made shall be final.	
	<b>X</b> 7
Office of the Contemporary December	Yours sincerely,
Office of the Cantonment Board	Chief Executive officer
No	Cantonment Board (Seal of the Board)
LAIGH	COCAL OF THE DOMEST

# Information to be furnished under section 116 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

- 1. House No. Road and locality.
- 2. Name and address of the owner.
- 3. Date of inheritance/purchase.
- 4. Price paid for the property/
- 5. (a) Whether Kutcha or Pucca,
  - (b) Covered area.
- 6. Number of Storeys.

[भाग II-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 59

- 7. Number of rooms of every description in each storey, with dimension including stores, kitchen and bathrooms.
- 8. (a) Whether used for residential or commercial purposes;
  - (b) Is the building used for running a hotel, college, school, hospital or factory? If so, please give full particulars.
- 9. If any portion (s) has been let out, the name (s) of tenants, the accommodation let out to each and the monthly rent.
- 10. Whether the house is:
  - (a) Electrified.
  - (b) Has a domestic water connection.
  - (c) Sanitary latrines.
- 11. is the house assessed for state government's property tax and if so what is the assessment fixed by the Excise and Taxation officer and the date from which it is effective.

Signature of owner/occupier/tenant

#### FORM No. 9

Notice under clause (a) of section 136 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,
Sir/Madam,
Whereas it is noticed that:
*(1) a cesspool in you building/land #
*(2) The receptacle to collect filth in your building/land #
*(3) The flowing/soaking/draining water of private latrine/urinal/sink/bathroom or any other offensive matter on your land/building #
*(4) Rubbish or offensive matter has been allowed to accumulate or remain under it/on your building/land #

Now, therefore, in pursuance of sub clause**	
clause (a) of section 136 of the Cantonments Act, 2006,	
Cantonment Bo cesspool/to keep the receptacle clean/ to rectify accumulation waste water on the public land for provide a <i>pucca</i> cesspool covering/repair/cleanse within	ion of sewage/to stop the flow of the daily ol/to remove the rubbish/to provide proper
Office of the Cantonment Board No	Yours sincerely, Chief Executive officerCantonment Board (Seal of the Board)
(*Strike out whichever is not necessary. #Fill in the particulars of the building or land. **Here mention the respective sub-clause of clause (a) of so	ection 136)
FORM No. 10	
Notice under clause (b) and clause (c)	of section 136 of the
Cantonments Act, 2006 (4	1 of 2006)
To,	
Sir/Madam,	
Whereas it is noticed that:	
*(1) Making or altering any drain in your building/land $#$ . leading into a public drain should be stopped;	
*(2) the drain in your control is not clean/requires repair/to	be altered/ to put in good order;
Now, therefore, in pursuance of sub clause*(b)/clau Act, 2006, I, as the Chief Executive Officer of the . Cantonment Board, hereby give you notice to stop from	

[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 61

into a public drain*/to cleanse/purify/repair/alter/put in	<b>G</b>
days of receipt of th	nis notice.
	Yours sincerely,
Office of the Cantonment Board	Chief Executive officer
No	Cantonment Board
Dated	(Seal of the Board)
(#Fill in the particulars of the building or land.	
*Strike out whichever is not necessary.)	
FORM No. 11	
Notice under sub-section (1) of section	on 137 of the
Cantonments Act, 2006 (41 of	2006)
То	
Sir/Madam,	
,	Contamment Decord the
Whereas in the opinion of the Health Officer well/tank/reservoir/cistern/container/desert cooler or any other	
known as# where water is stored/accumulated, is	
breeding place for mosquitoes.	ereaming more una miery to ce u
Now therefore, in pursuance of sub-section (1) of section	on 137 of the Cantonment Act, 2006, I,
as the Chief Executive Officer of the	Cantonment
Board, hereby give you notice to fill up/cover the well/cistern/	reservoir/receptacle or fill up the tank
or drain off or remove the water within days of the i	receipt of this notice

(Authority: Cantonment Board resolution No.	dated)
(# details of the property)	
	Yours sincerely,
Office of the Cantonment Board No	Chief Executive Officer Cantonment Board (Seal of the Board)
	ORM No. 12
	Act, 2006 (41 of 2006)
To	
Sir/Madam,	
	nd/building/house# owned/occupied by your nal/cesspool/dustbin/receptacle for filth, sewage or ptacle;
Executive Officer of the	on 138 of the Cantonment Act, 2006, I, as the Chief

[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 63

(Here	specify	the	manner	in	which	the	latrine/urinal/cesspool etc. be provided for
(# det	ails of the	proper	ty)				
							Yours sincerely,
Office	e of the Ca	ntonm	ent Boar	d			Chief Executive Officer
No							Cantonment Board
Dated		• • • • • • •	• • • • • • • • • •	••			(Seal of the Board)
					]	FORM	M No. 13
				N	lotice u	nder s	section 139 of the
				Can	tonmer	its Ac	et, 2006 (41 of 2006)
То							
	Chief Ex	ecutiv	e Office	r,			
		• • • • • • •	Canton	ment	Board		
		• • • • • • •	•••••	• • • • •	• • • • • • • • •		
Sir/M	adam,						
	I, as an	empl	oyer of	the		• • • • • • •	(her
specif	y the name	e of the	e establis	shme	ent) here	by giv	ve your notice under section 139 of the Cantonmer
							. day of20 I am employin
							esaid (name of the establishment)
locate	d at	•••••	•••••	in th	ie	•••••	Cantonment.
							Yours sincerely,
Place							Signature
	••••••						SignatureNameAddress

# Notice under section 140 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

10		
Sir/Ma	adam,	
	Whereas it is noticed that:	
Board the Bo	The private latrine/urinal owned by you/under your The private latrine/urinal proposed to be concerted/repaired, unless it has been inspected by the authorized by the Chief Executive Officer ( here morard) and certified that the said latrine/urinal is in	nstructed/repaired by you shall not be Chief Executive Officer or official of the ention designation of inspecting official of conformity with the plan approved by the
		t Board free of charge); control is causing public nuisance;
	<ul><li>(a) Is open to view of persons passing by/dwelling</li><li>(b) Needs cleansing in the manner specified below</li></ul>	_
-	The drain owned/controlled by you is uncovered led below: Specify the manner of covering required).	and requires to be covered in the manner
steps you/ur	Now, therefore, in pursuance of clause \$	bief Executive Officer of the Board, give you notice to take necessary the private latrine/urinal/drain owned by
		Yours sincerely,
No	of the Cantonment Board	Chief Executive Officer Cantonment Board (Seal of the Board)
\$ Here	ike out matter whichever is not necessary. e specify the clause. I in the particulars of the building or land.)	

# Notice under sub-section (3) of section 142 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

То	
Sir/Madam,	
Whereas on the-basis of the report of the osection 142 of the Cantonment Act, 2006, the the opinion that the building (s)	indicated in the table below is/are
Ant whereas the board is satisfied that it immediately;	is necessary to remove the said building (s)
Now, therefore, in pursuance of sub-section (I, as the Chief Executive Officer of the	
(Authority: Cantonment Board Resolution No	dated)
	Yours sincerely,
Office of the Cantonment Board	Chief Executive Officer
No	Cantonment Board
Dated	(Seal of the Board)

TABLE (Here give the particulars of the building (s) in question).

# Notice under sub-section (1) of section 143 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

То	
Sir/Madam,	
Whereas in the opinion of the Board, building or part of building (s) is overcrowded and endangering the health of the occupants the	used as dwelling house
Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of sect.  I, as the Chief Executive Officer of the	of lodgers/tenants/other inmates by ding in the said building (s). Failing to
(Authority: Cantonment Board Resolution No dated .	)
	Yours sincerely,
Office of the Cantonment Board	Chief Executive Officer
No	Cantonment Board (Seal of the Board)

(\*Hereafter specify the details of lodgers/tenants/other persons whose number is to be reduced)

# Notice under sub-section (1) of section 144 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

То	
Sir/Madam,	
	ing (s) owned or occupied by you situated at is in a state of dis-
repair/dilapidated/in an insanitary state and required	
1	
2	
3	
4	
Now, therefore, in pursuance of sub-section (I, as the Chief Executive Officer of the	he aforesaid repairs/alterations should be carried
(Authority: Cantonment Board Resolution No	dated)
	Yours sincerely,
Office of the Cantonment Board	Chief Executive Officer
No	Cantonment Board
Dated	(Seal of the Board)

## Notice under sub-section (1) of section 145 of the

## **Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)**

То	
Sir/Madam,	
occupied by you* is in a insanitary/filthy/unwholese	
a nuisance to persons in the neighbourhood,	* is
* is overgrown with prickly-pear / rank / noisome v	
Now, therefore, in pursuance of sub-section I, as the Chief Executive Officer of the	building (s) owned, internally/externally/cleared and put in a proper
	Yours sincerely,
Office of the Cantonment Board	Chief Executive Officer
No	Cantonment Board
Dated	(Seal of the Board)
(*Strike out the matter whichever is not necessary.)	)

# Notice under section 147 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

## NOTICE

	is hereby given noticed that
the entire/part of the building is unfit for human h until it has been rendered fit for	
(Authority: Cantonment Board Resolution No	dated)
(# here mention details of the building)	
	Yours sincerely,
Office of the Cantonment Board No	Chief Executive Officer Cantonment Board
Dated	(Seal of the Board)
Cantonments Act,	2006 (41 of 2006)
Cantonments Act,	2006 (41 of 2006)
То	
	•••••
Sir/Madam,	
_	ergrowth has come up in the land/the building
health/offensive to the persons residing in the neigh	
Now, therefore, in pursuance of section 14	48 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief
	Cantonment Board, hereby

70	THE GAZETTE OF INDIA:	EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 4]
give you notice to clear av	way and remove from the	said land/building the vo	egetation/undergrowth
within days of t	the receipt of this notice.		
		Yours since	erely,
Office of the Cantonment I			utive Officer
No		(Seal of the	Cantonment Board Board)
		`	,
	FORM No	. 21	
	Notice under sectio	on 150 of the	
	Cantonments Act, 200	06 (41 of 2006)	
То,			
10,			
Sir/Madam,			
Whereas it is necess	sary to have the following i	nformation in respect of	burial/burning ground
owned by you/of which you	u are in-charge with regard	to the condition, manage	ment/ position of such
ground. (Herein specify the	e information required)		
	pursuance of section 150 c		
			•
-	cessary information as requi	-	
of this notice.	burial/burnin	g ground within	days of the receipt
of this notice.			
		Yours since	relv
		Tours since	101y
Office of the Contained I	Doomd	Ck:-£E-	stiva officer
Office of the Cantonment I		C	ative officer antonment Board
Dated		(Seal of the	Board)

# Notice under section 158 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,	
Sir/Madam,	
Whereas it has been certified by	medical practitioner, that the
(Na	me)
out break/ spread of infectious/contagious disease	
	(Name of disease)
in the Cantonment is attributed	to the milk supplied by you.
Now, therefore, in pursuance of section 15  Executive Officer of the	the names and addresses of all your customers and the persons to whom you have sold milk with in
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board	Chief Executive officer
No	Cantonment Board
Dated	(Seal of the Board)

# Notice under section 159 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,	
Sir/Madam,	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	n Officer, that with a view to prevent spread of
(Nan	ne of disease)
necessary to have the information regarding your	customers;
you notice that full and complete list of the nam cantonment whose clothes and other articles y	Cantonment Board, hereby give the and addresses of all your customers with in the you wash or have washed during the six weeks ce, be furnished to the Health Officer within the receipt of this notice.
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board	Chief Executive officer
No	Cantonment Board
Dated	(Seal of the Board)

## Notice under section 162 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

То,			
Sir/M	adam,		
is cau	sed/lik	eas it has been reported by the Health Officely to arise in the Cantonment	
	*(a)	from the consumption of the milk supplied	
	*(b)	washing of clothes or other articles by you clothes or articles at	
	n 162 c	therefore, in pursuance of clause	tive Officer of the
	*(a)	milk should be supplied to any person fr	
	*(b)		
			Yours sincerely
No		Cantonment Board	Chief Executive officerCantonment Board (Seal of the Board)
(*Str	ike out	the matter whichever is not necessary.)	

# Notice under section 168 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,	
Sir/Madam,	
Whereas the Board is of the opinion that cleans building/removal of the flooring of the building/article spread of infectious/contagious disease;	
Now, therefore, in pursuance of section 168 of Executive Officer of the	
	(Herein specify the details)
(Authority Cantonment Board Resolution No	dated)
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board	Chief Executive officer
No	Cantonment Board
Dated	(Seal of the Board)

## Notice under sub-section (1) of section 169 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

Го,	
Sir/Madam,	
Whereas in the opinion of the Board, the	e destruction of shed/hut and the material thereof
owned by you at	is necessary to prevent the
spread of	infectious/contagious disease;
Now, therefore, in pursuance of sub-section	on (1) of section 169 of the Cantonments Act, 2006,
<del>-</del>	
	destroy the aforesaid shed/hut and the materials
thereof within	•
nercor within	days of the receipt of this notice.
(Authority Cantonment Board Resolution No	dated)
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board	Chief Executive officer
No Dated	Cantonment Board (Seal of the Board)
FORM	# NI 07
	1 No. 27
	n (2) of section 169 of the
Cantonments Act	t, 2006 (41 of 2006)
Го,	
Sir/Madam,	
Whereas, as the President of the Board,	I am satisfied that the destructions of shed/hut at
	. *owned/occupied by you is immediately

necessary for the purpose of preventing the spread of \*infectious/contagious disease;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of	section 169 of the Cantonments Act, 2006,			
I, as the President of the	Cantonment Board,			
hereby give you notice that the said *shed/hut *own	ned/occupied by you shall be destroyed			
immediately. In case of your failure to destroy the said s	hed/hut, it will be destroyed by the Board			
within **hours of the receipt of this N	lotice.			
	Yours sincerely			
	Tours sincerery			
Office of the Cantonment Board	President			
No	Cantonment Board (Seal of the Board)			
	,			
(*Strike out the matter whichever is not necessary.)				
(**Here mention the period not less than two hours).				
FORM No. 28				
Notice under clause (b) sub-section (				
Cantonments Act, 2006 (	41 of 2006)			
To,				
Sir/Madam,				
Sii/Wadaiii,				
Whereas the undersigned is of the opinion that the	e water in *well/tank/			
(other place) owned by you/under your control atif used for				
drinking, will endanger/cause the spread of disease.				
Now, therefore, in pursuance of clause (b) of	• •			
Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), I, as the Chief Execu				
following measures to prevent the public from using the w				
following measures to prevent the public from using the w	rater from the said well/tallk/ (other place)			

within		*hours/c	lays from the date of receipt of this
notice.	•		
	(Here	mention the measures to be undertaken).	
	(1)		
	(2) (3)		
	(5)		
			Yours sincerely
Office	of the	Cantonment Board	Chief Executive officer
			Cantonment Board (Seal of the Board)
(*Stri	ke out	the matter whichever is not necessary.)	
		FORM No. 29	
		Notice under section 177 of the	9
		<b>Cantonments Act, 2006(41 of 200</b>	06)
To,			
Sir/Ma	adam,		
	Where	eas it has been reported that	has died
from .	• • • • • • • •	infectious	/contagious disease.
2006,		therefore, in pursuance of clause (a) / clause (b) of see Chief Executive Officer of the Cantonment Board,	
	*(a)	to convey the same to a mortuary at	
	*(b)	to remove the corpse for the purpose of being *bu	ried/burnt/conveyed to a mortuary
		at	···

	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board	Chief Executive officer
No	Cantonment Board
Dated	(Seal of the Board)
(*Strike out the matter whichever is not necessary.)	
FORM N Notice under sub-section ( Cantonments Act, 2	1) of section 182 of the
To,	
Sir/Madam,	
Whereas there are sufficient reasons to belicontagious disease;	ieve that you are suffering from an infectious/
Now, therefore, in purstiance of sub-section ( I, as the Health Officer/Medical Officer-in-charge of	(1) of section 182 of the Cantonments Act, 2006, the
Hospital of the Cantonment Board, hereby give you notice to presen	
	•
the hospital/dispensary without the permission of the	1 , ,
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board	Health Officer/
No	Medical Officer-in-Charge,
Dated	Hospital,
	(Seal)

## Notice under section 190 of the Cantonment Act, 2006 (41 of 2006)

To,		
Sir/Ma	ıdam,	
	Where	eas the source ( name of well etc.) of
public	water s	supply which is used for drinking purposes in
owned	by you	/ under your control is
	*(a)	not in good order/ not cleared of silt/ refuse/ decaying vegetation;
	*(b)	required to be protected from contamination in the manner specified below:-
	*(c) th	ne water is unfit for drinking purposes;
Execut give yo	ive Of	therefore, in pursuance of section 190 of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief ficer of the
	*(a)	to *keep the aforesaid *well/water supply in good order/ clear it of * silt./ refuse/ decaying vegetation
	*(b)	* to protect the aforesaid *well/ water supply from contamination in the manner specified below:
		(Here specify the manner to be adopted to prevent contamination)
	*(c)	that the public should be prevented from having access to using the water from the aforesaid *

well/ water supply in the manner specified below:

	•••••	(Here specify	the manner of
	prevention) within		days of receipt of
	this Notice.		,
		Yours sincerel	y
Office of the	Cantonment Board	Chief Executiv	ve officer
No		Cant	conment Board
Dated		(Seal of the Bo	
Dated		(Scar of the De	mu)
(*Strike out	the matter whichever is not necessa	ry.)	
	FOR'	M No. 32	
		section 192 of the	
		et, 2006 (41 of 2006)	
<b>T</b>	Cantonnent AC	1, 2000 (41 01 2000)	
To,			
•••••			
•••••			
•••••		, <b></b>	
Sir/Madam,			
Sii/iviadaiii,			
Where	eas it appears that the building/la	and	
	pied by you is without a proper sup		
Now,	therefore, in pursuance of section	192 of the Cantonment Act, 20	006, I, as the Chief
	officer of the		
	you notice as the owner/ occupier		
	description enceified below and		
	description specified below and t		
	ement of persons occupying the said		
(Here specify	the particular as to size and descrip	otion of the communication pipes)	).

	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board No	Chief Executive officerCantonment Board (Seal of the Board)
FORM No. 3.	3
Notice under clause (a) of se	ection 195 of the
Cantonments Act, 2006	(41 of 2006)
To, The *	Cantonment Board
In pursuance of clause (a) of section 195 of owner/occupier/lessee of the land/ building (details of land/ building), hereby give you notice that de repair, there is wastage of water in/on the said land/building	ue to pipes/ drains/other works being out of
This may please be noted.	Yours sincerely
Place Date	Signature Name Address

(\* Designation of the Officer.)

## Notice under clause (c) of section 195 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,			
••••			
Sir/Madam	,		
Whereas, y	ou have—		
(a)	charges in respect of land/building	rates** han pill to you;	
(b) Refused to admit/prevented the undersigned/			
	purpose of making an examination/ in 195 of the Cantonments Act, 2006;	quiry as authorized under clause (b) of section	
(c)	Willfully/negligently misused/caused	waste of water in the land/building owned/occupied by you;	
(d)		the meter/pipe/tap conveying water from the	
(e)			
( ** Specify	y the nature of charges.)		
Nov	w, therefore, in pursuance of clause (c) of s	section 195 of the Cantonments Act, 2006, I, as	
the Chief E	xecutive Officer of the	Cantonment	
Board, here	eby give you notice that the water supply	to the aforesaid land/building is being turned	
off/disconn	ected within	days of the receipt of this	
notice.			
		Yours sincerely	
	ne Cantonment Board	Chief Executive officerCantonment Board	
Dated		(Seal of the Board)	

#### FORM No. 35 Notice under section 242 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To	
The Chief Executive officer, Cantonment Board,	
In pursuance of section 242 of the Ca	ntonments Act, 2006, this is to inform you that I/We
have completed erection/re-erection of the bu	uilding, known as as per sanction
given by the Board under Resolution No	dated/your letter No
dated refers.	
This may please be noted.	
(This notice should be given by the party with building)	hin 30 days from completion of erection/re-erection of
	Yours sincerely
Place	Signature
Date	Name
	Address
F	ORM No. 36
Notice under sub-s	section (1) of section 248 of the
Cantonment	s Act, 2006 (41 of 2006)
To,	
Sir/Madam,	
	. ,
Wharane it is considered that the	araction/re araction of the building enecified in th

Whereas it is considered that the erection/re-erection of the building specified in the Schedule below (hereinafter referred to as the said building) \*owned/occupied/taken on lease by you, constitute an offence under section 247 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);

(\*Strike out whichever is not necessary.)

84	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY			[PART II—SEC. 4]		
	SCHEDULE					
Name of the Building		Location of the Building	Details of construction as undertaken by owner/ Occupier/lessee in Contravention of section 247 of the Act	Specification to demolition and re-erection of the building.		
	1.	2.	3.	4.		
(Authority: Cantonment Board Resolution No Datedwhere the site falls outside Civil Area)  Yours sincerely						
Office of the Cantonment Board No			Chief Executive officerCantonment Board (Seal of the Board)			
FORM No. 37  Notice under sub-section (2) of section 248 of the  Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)						
То,	To,					

To,	
	 ••••
	 ••••

Sir/Madam,

AND whereas it is necessary to stop the said \*erection/re-erection of the said building;

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 248 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), I, as the Chief Executive Officer of the......

Cantonmen	t Board, hereby	give you notice to stop th	ne *erection/re-erection of the said	l
building, *demolish	/ alter/ re-erect the	he said building in the ma	nner specified in column (4) of the	)
said Schedule.				
(* Strike out whiche	ver is not necessar	ry.)		
		SCHEDULE		
Name of the Building	Location of the Building	Details of construction undertaken by owner/occupier/lessee	Manner in which the building should be demolished / altered /re-erected as per the modifications suggested by the Officer Commanding in Chief, the Command	
1	2	3	4	
			Yours sincerely	
Office of the Cantonment Board No			Chief Executive officerCantonment Board (Seal of the Board)	
FORM No. 38  Notice under section 252 of the				
		nments At, 2006 (41 of 2		
То,				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Sir/Madam,	0. 04.1			
JII/Iviauaiii,				

Whereas you have without the permission in writing from the Chief Executive Officer has erected / constructed the following structures in your building:

(1)

(2)

(3) * (Here specify the structures of the bu	uilding).
(4)	
Now, therefore, in pursuance of section 252 of Executive Officer of the	
you should demolish the aforesaid *	** erection/ structure/encroachment
within days of the receipt of	this notice.
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board	Chief Executive officer
No	Cantonment Board
Dated	(Seal of the Board)
(*Projecting into/encroaching on the street/channel/dra	ain/well/tank
** Strike out whichever is not necessary)	
FORM No.	30
Notice under section	
Cantonments Act, 200	6 (41 of 2006)
To,	
Sir/Madam,	
Whereas, you have without the permission	of the undersigned in writing erected/re-
erected a structure over(Name of the	
course or water pipe)inin.	;
Now, therefore, in pursuance of section 253 of	the Cantonments Act. 2006. Las the Chief
Executive Officer of theCar	

pull down the same within	days of the receipt of this notice failing
which it shall be removed by the undersigned at you	ar risk and cost.
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board	Chief Executive officer
No	Cantonment Board
Dated	(Seal of the Board)
FORM N	
Notice under secondary Cantonments Act, 2	
Cantonnients Act, 2	2000 (41 01 2000)
To,	
Sir/Madam,	
Whereas it is noticed that—	
*(a)the troughs and pipes for receiving	and carrying rain water from the building
land* condition;	owned/occupied by you are not in good
*(b) there is no proper connect	tion/communication between the
building/ land	*owned / occupied by you and the
drain/sewer (specify	the drain /sewer)
Now, therefore, in pursuance of section 254	of the Cantonments Act, 2006, I, as the Chief
Executive Officer of the	Cantonment Board hereby give you
notice that the troughs and pipes should be ke	pt in good condition and to ensure sufficient

drainage from the said building/land the followi	ng work should be undertaken by you
withindays of the receipt of this notice	ce:
1	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board No Dated	Chief Executive officerCantonment Board (Seal of the Board)
(* Strike out the matter whichever is not necessary)	
FORM No.	
Notice under sub-section (2)	
To,	00 (41 01 2000)
Sir/Madam,	••••
Whereas it is brought to the notice of the undersig  *(a) The boundary * wall/ hedge/ fence is  * owned/ occupied by you is * unsuitable/ unsightly/ ob	n the land
*(b) It is necessary to construct on the latthe boundary * wall/hedge/ fence of the material, descri	
*(c) It is necessary to maintain the land*owned/ occupied by you in g	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Now, therefore, in pursuance of sub-section(2 2006, I, as the Chief Executive Officer of the give you notice that—	

\*(a) The boundary\* wall/ hedge/ fence on the aforesaid land be removed;

*(b) The boundary * wall/ hedge/ fence below be constructed on the aforesaid land	of the material, description/ dimensions specified
(Here give the specifications as to material, description	n or dimensions);
*(c) The boundary * wall/ hedge/ fence on withindays of the receipt of this new	the aforesaid land be maintained in good order otice.
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board No	Chief Executive officerCantonment Board (Seal of the Board)
Dateu	(Sear of the Board)
(Strike out the matter whichever is not necessary.)	
FORM N	No. 42
Notice under sect	tion 262 of the
Cantonment Act, 20	006 (41 01 2006)
To,	
Sir/Madam,	
Whereas the Board is of the opinion that it on landowned /	is necessary to fell/lop/trim the tree(s) standing occupied by you on account of
Now, therefore, in pursuance of sub-sectic Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), I, as the Cantonment Board, hereby give you notice be felled/lopped/ trimmed within	that the tree (s) standing on your land should
(Authority: Cantonment Board Resolution	No)
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board	Chief Executive officer
No	Cantonment Board
Dated	(Seal of the Board)

## Notice under section 264 of the Cantonment Act, 2006 (41 of 2006)

10,	
Sir/Madam,	
·	
	the working of a quarry/ the removal of stone
earth/	
from the soil) at	1 77
persons residing in/ frequenting the neighborhood and	•
•	1) of section 264 of the Cantonments Act,2006,I, a
the Chief Executive Officer of the	•
you notice that the following steps should be tak	
arising/likely to arise	at owned/ occupied by you:—
(Herein specify the steps to b	pe taken)
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board	Chief Executive officer
No Dated	Cantonment Board (Seal of the Board)
Bulcu	(Sear of the Board)
FORM I	No. 44
Notice under sec	etion 280 of the
Cantonment Act, 2	2006 (41 of 2006)
То,	
Sir/Madam,	
·	

Whereas the Board is satisfied that the use of place known as .....

[भाग II – खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 91

owned / occupied by you for the p	urpose of under licence granted by the
Board is a nuisance/ likely to be dangerous to life/ hea	lth/ property;
Now, therefore, in pursuance of section 280 of Executive Officer of the	t Board, hereby give you notice that the use
of	•
theday of20to rend danger.	•
(Here give details of alterations, additions and improve	ments to be undertaken).
(Authority: Cantonment Board Resolution Nod.	ated)
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board No	Chief Executive officerCantonment Board (Seal of the Board)
FORM No. 4	15
Notice under sub-section (1	1) of section 292
of the Cantonments Act, 20	006 (41 of 2006)
To,	
Sir/Madam,	
Whereas by public Notice date i	t was directed by the Chief Executive
Officer that the roofs and external walls of huts/bu	ildings shall not, without the permission
in writing of the Chief Executive Officer, be made	e or renewed with grass, mats leaves or
other inflammable materials in the	Area of the
Cantonment; and	

Whereas you have renewed the roof/wall (s) of your hut/building with grass/mats/leaves,

inflammable material, without the permission from the Chief Executive Officer in writing.

Now, therefore, in pursuance of sub-section	n (1) of section 292 of the Cantonments Act, 2006,
I, as the Chief Executive Officer of the	Cantonment Board, hereby
give you notice that the roof/walls of your hut/bui	ilding be removed within 15 days from the date of
receipt of this notice.	
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board No	Chief Executive officerCantonment Board
Dated	(Seal of the Board
FORM	[ No. 46
	tion (2) of section 292
	Act, 2006 (41 of 2006)
То,	
Sir/Madam,	
	s) of your *hut/building is made of
	nable materials *with/Without the sanction of the
Chief Executive Officer;	
And whereas the Chief Executive Officer	is of the opinion that the external walls/roof (s) of
your hut/building should be removed being made of	-
Now, therefore, in pursuance of sub-section	n (2) of section 292 the Cantonments Act, 2006, as
the Chief Executive Officer of the	
notice that the external walls/roof (s) o ** days from the date of rece	of your hut/building be removed with in eipt of this notice.

You are further informed that the compensation of Rs.....towards the

Yours sincerely
Chief Executive officerCantonment Board (Seal of the Board
2
06)
ofCantonment cavation/bank/tree (described in you is in ruinous, state and is a neighbourhood**.
aments Act 2006, I, as the Chief give you notice that nclose withindays which, the said work
Yours sincerely
Chief Executive officerCantonment Board (Seal of the Board

(\*In case of tenant the word 'your' shall be deleted.

<sup>\*\*</sup> Strike out whichever is not applicable.

<sup>\*\*\*</sup>Herein specify the action required on part of owner/tenant).

## Notice under section 298 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,	
Sir/Madam,	
Whereas it is noticed that your building No	/ Vacant
plot No has by reason of di	suse/disputed ownership/
has remained unoccupied and has become the resort of	idle and disorderly person/persons who have
no ostensible means of subsistence/persons who canno	at give a satisfactory account of themselves/is
used for gaming/immoral purposes or for	(other purpose)*
and/or is likely to occasion a nu	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Now, therefore, in pursuance of section 298	of Cantonments Act, 2006, I, as the Chief
Executive Officer of the	
	/Vacant Plot No
withinda	
	•
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board	Chief Executive officer
No	Cantonment Board (Seal of the Board
(*Herein specify the other purpose	

<sup>(\*</sup>Herein specify the other purpose.

<sup>\*\*</sup>Strike out whichever is not applicable.)

# Notice under section 308 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

To,	
Sir/Madam,	•••••
Whereas the Board has undertaken the work to as the said work) and for that purpose, it is necessary executing the said work on behalf of the Board to enfor the purpose of depositing thereon	ter on your land
(Here specify the nature of materials such as	soil, gravel etc.)
or of obtaining access to the said work	
(Here spe	ecify any other purpose).
Now, therefore, in pursuance of section 308  Executive Officer of the	of the Board shall enter into your land for the
(Here specify the date not earlier than three days from	m the date of proposed entry)
day o	of20
and request you to fence off the aforesaid land	
(Here mention the area)	
owned /occupied by you so as to enable the officers, said work.	staff and workmen of the Board to execute the
(Table with details of work specified)	
	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board No	Chief Executive officerCantonment Board (Seal of the Board)

### Notice under section 320 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006)

То,	
Sir/Madam,	
Subject: Non-compliance of Notice issued by	Cantonment Board
Sir/Madarn,	
Requisition Nodated	ith the term(s) of this office Notice / Order / ., issued to you under section
(date) has been dismissed by vide order No	the Appellate Authority (name the authority)
(Authority: Cantonment Board Resolution No notice/order/requisition was issued at the instance.)	
(*Strike-out, if not applicable)	Yours sincerely
Office of the Cantonment Board No	Chief Executive officerCantonment Board (Seal of the Board)
	[F. No. 14(1)/2016-D(Q&C)]
	MANISH THAKUR, Jt. Secy.